**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 01, मेरठ।**

11–10–2022

प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अभियुक्त निशान्त कुमार उर्फ नीशू की ओर से मु0अ0सं0 55/2021 अन्तर्गत धारा 323,352,504,506,भा0द0सं0 थाना कोतवाली जिला मेरठ में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त आत्म समपर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध है ।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध अजमानतीय होने का कथन किया गया है ।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह निर्दोष है उसको झूठा रंजिशन फंसाया गया है । उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है ।

उभय पक्षो को सुना तथा प्रपत्रो का अवलोकन किया ।

प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है । सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी हैं। अपराध की प्रकृति व मामले के तथ्यो परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर बिना विचार किये प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को मुबलिग बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

**(विनय कुमार द्वितीय)**
**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**कोर्ट संख्या 01, मेरठ।**
**आई0डी0न0–1852**